UPUN010033552026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1407/2026

कमलेश चन्द्र मिश्रा उम्र 72वर्ष पुत्र स्व0गंगा दयाल मिश्रा, निवासी 624घ/125 न्यू गुलिस्ता कालोनी, थाना चिनहट जिला लखनऊ। ————अभियुक्त।

प्रति

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव।
————विपक्षी।

15.06.2026

अभियुक्त कमलेश चन्द्र मिश्रा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–1020/2025, धारा–85,80(2), 123बी0एन0एस0 व 3/4डी0पी0एक्ट, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी कौशल किशोर मिश्रा ने अपनी पुत्री काजल मिश्रा की शादी दिनांक 05.05.2025 को आशीष मिश्रा के साथ रीति रिवाज से किया था। पुत्री के ससुरालीजन शादी के बाद से ही चार पहिया गाड़ी व 10लाख रूपये नकद की मांग करते थे, जिसके लिये उसे प्रताड़ित करने लगे, पुत्री ने यह बात घर आकर बतायी। वादी व उसके परिवारीजन पुत्री की सुसुराल जाकर पति आशीष मिश्रा, जेठानी रचना मिश्रा, जेठ अनिल मिश्रा व सास मुन्नी देवी व ससुर कमलेश चन्द्र मिश्रा को समझाने का प्रयास किया, नही माने और उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते रहे। दिनांक 24.11.2025 को उपरोक्त ससुरालीजन ने योजनबद्ध तरीके से पुत्री की हत्या करने के इरादे से कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे पुत्री की हालत खराब हो गयी। सूचना मिलने पर लखनऊ गया। पुत्री को ससुराल वाले लोहिया अस्पताल ले गए, जहां से इलाज के बाद घर लाये, पुत्री की हालत अधिक खराब हुयी तो उन्नाव अस्पताल लाते ही इलाज के दौरान पुत्री को मृत घोषित कर दिया गया। पुत्री काजल की हत्या उसके ससुरालीजन द्वारा की गयी है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया गया कि, वह निर्दोष है, अर्नगल वसूली के लिये उसे झूठा फंसाया गया है। घटना दिनांक 24.11.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.11.2025 को अतिविलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी मृतका का ससुर है। जन सूचना अधिकार द्वारा उमाशंकर दीक्षित चिकित्सालय उन्नाव से मृतका काजल के संबंध में सूचना दी गयी कि मृतका काजल को दिनांक 25.11.2025 को समय 10.05 बजे (Pain in abdomen with vomiting) बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उसके पिता द्वारा भर्ती कराया गया, दिनांक 25.11.2025 को 06.00बजे वह बिना चिकित्सक की अनुमति के अस्पताल से (abscond) चले गए। प्रार्थी विवाह के पूर्व से ही 624घ/125 न्यू गुलिस्ता कालोनी चिनहट लखनऊ में निवास करता है। शवविच्छेदन आख्या में मृत्यु का कारण स्पष्ट नही है। मृतका के शरीर पर कोई प्रताड़ना के चिन्ह नही है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह अत्यन्त वृद्ध बीमार व्यक्ति है, तंत्रिका तंत्र की गंभीर बीमारी से ग्रसित है। वह दिनांक 22.05.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है, न ही विचाराधीन है, न ही खारिज हुआ है। उक्त आधार पर प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाने की याचना की गयी।

वादी की ओर से आपत्ति मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि उसकी पुत्री(मृतका) के ससुरालीजन विवाह के बाद से अतिरिक्त दहेज में चार पहिया गाड़ी व 10लाख रूपये

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.16 15:14:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की मांग करते थे। उसके ससुरालीजन ने पुत्री की हत्या करने इरादे से योजनाबद्ध तरीके से जहरीला पदार्थ खिला दिया। अभियुक्त आशीष मिश्रा निवासी 624घ/125 न्यू गुलिस्तां कालोनी, थाना चिनहट जिला लखनऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र समक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी (जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005) में प्राप्त मेडिकल पेपर हिस्टोरी स्रोत मेलिखा है कि ''मृतका काजल मिश्रा'' चूहा मारने का जहर 7घण्टे पहले दियागया तथा गैस्ट्रिक लेवेज डल इन राम मनोहर लोहिया हास्पिटल। गैस्ट्रिक लेवेज डन का तात्पर्य मेडिकल के अनुसार मेडिकल प्रोसीजन यूज टू रैपिडली अम्पटी एण्ड क्लीन आउट द कनटेन्ट ऑफ द इस्टमक। अभियुक्तगण द्वारा जहर दिया गया और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जानबूझकर गैस्ट्रिक लेवेज कराया जिससे पेट के अंदर मौजूद जहर साफ हो जाये। शादी के पांच महीना में अभियुक्तगण द्वारा उसकी पुत्री की हत्या की गयी। वादी को जब सूचना प्राप्त हुयी तब से वह इलाज मे व्यस्त रहा और मृत्यु के पश्चात क्रिया कर्म मे व्यस्त रहा। अभियुक्त अपने पुत्र आशीष मिश्रा के साथ रहता है। जिसका प्रमाण मेडिकल प्रपत्र है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की कृपा करें।

विद्वान ज़िला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं वादी के निजी विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ज़िला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं वादी के निजी विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से तर्क है कि वह निर्दोष है। वह मृतका का ससुर है, उसकी उम्र 72वर्ष है वह वृद्ध बीमारी व तंत्रिका रोग से ग्रसित है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि वादी कौशल किशोर मिश्रा द्वारा अपनी पुत्री काजल मिश्रा की शादी दिनांक 05.05.2025 को अभियुक्त आशीष मिश्रा पुत्र कमलेश चन्द्र मिश्रा के साथ रीति रिवाज से किया था। अशीष मिश्रा पति, कमलेश चन्द्र मिश्रा ससुर, मुन्नी देवी सास, जेठ अनिल मिश्रा, जेठानी रचना मिश्रा द्वारा अतिरिक्त दहेज मे चार पहिया गाड़ी व 10लाख रूपये नकद की मांग पूरी न किये जाने पर दिनांक 24.11.2025 को काजल मिश्रा को जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे काजल मिश्रा की मृत्यु हो गयी। वादी व अन्य साक्षीगण द्वारा अपने बयान धारा–180बी0 एन0एस0एस0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया गया है। मृतका काजल मिश्रा की शवविच्छेदन आख्या दिनांकित 26.11.2025 में उसकी मृत्यु का कारण COULD NOT BE ASCERTAINED HENCE VISCERA PRESERVED FOR CHEMICAL ANALYSIS. उल्लिखित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध विधिविज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0 लखनऊ की आख्या दिनांकित 28.02.2026 के अनुसार विसरा के भागो (1–5 स्टमक का टुकड़ा अन्तर्वस्तु सहित, ऑत का टुकड़ा अन्तर्वस्तु सहित, लिवर का टुकड़ा पित्ताशय सहित, किडनी के टुकड़े, स्पलीन का टुकड़ा) में क्लोरपायरीफॉस (Chlorpyrifos) इन्सेक्टिसाइड विष पाया गया। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। वह मृतका का ससुर है। केस डायरी के साथ अभियुक्त का उक्त धाराओं में आरोप पत्र संलग्न है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता पर विचार कर अभियुक्त की कथित अपराध मे भूमिका और संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नही पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त कमलेश चन्द्र मिश्रा द्वारा अपराध संख्या–1020/2025, धारा–85,80(2),123 बी0एन0एस0, व 3/4डी0पी0एक्ट, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव के मामले मे प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1407/2026 निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये।

दिनांक–15.06.2026
राकेश/–

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जे0ओ0कोड–यू0पी0 6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।